

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2835/2017

Reliance General Insurance Company Ltd.

Vs.

Rajendra Kumar and Anr.

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र अग्रवाल।

:: आदेश ::

07.07.2017

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा कि वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड की समस्त राशि मय ब्याज अधीनस्थ न्यायालय में आगामी **एक माह की अवधि** में जमा कराने को तैयार हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित किया जाए।

विचार किया गया। मामला दुर्घटना के क्रम में क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है तथा अपीलार्थी की ओर से अवार्ड की

समस्त राशि मय ब्याज स्वेच्छा से अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराने हेतु सहमति प्रदान की गई है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवार्ड की समस्त राशि मय ब्याज अधीनस्थ न्यायालय में आगामी एक माह की अवधि में जमा कराने की शर्त पर अधीनस्थ न्यायालय, **मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा एम ए सी टी प्रकरण संख्या 43/2015 (59/2014)** में पारित निर्णय एवं अवार्ड दिनांक **25.4.2017** का क्रियान्वयन प्रत्यर्थी पक्ष के ऐतराज प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित होता है।

इस आदेश के तहत अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने के पश्चात प्रत्यर्थी-क्लेमेण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाशुदा राशि की **पचास प्रतिशत राशि** प्रत्यर्थी-क्लेमेण्ट को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थी इस अपील में सफल होता है तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी-क्लेमेण्ट द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थी को **6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **एक माह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे। यदि प्रत्यर्थी-क्लेमेण्ट एक माह की अवधि में राशि पुनः अपीलार्थी को अदा करने में असफल रहते हैं तो उस स्थिति में अपीलार्थी को इस आदेश के अधीन ही प्रत्यर्थी-क्लेमेण्ट से अदा की गई राशि जरिये इस आदेश इजराय कर वसूल करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु अलग से कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष पचास प्रतिशत राशि फिलहाल एक वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तथा अपील का निस्तारण नहीं होने पर नियमानुसार उसका समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाता रहेगा।

अभिलेख तलब हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही करने के पश्चात अभिलेख प्रेषित करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति